अनुलग्नक–6

बिहार स्टेट फुड़ एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरशन लि0,

खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2 पटना –01

"बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति–2018"

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) के चयन हेतु जिला स्तर पर जिला परिवहन समिति एवं निगम मुख्यालय स्तर पर मुख्यालय परिवहन समिति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूर्व के सभी प्रावधानों को समेकित करते हुए "**बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति–2018**" निम्न रूप से गठित की जाती है।
2. **उद्देश्यः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा 12.2(क) के अंतर्गत चिन्हित परिवारों के लिए आवंटित खाद्यान्न को डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य निगम के टी0पी0डी0एस0 गोदाम से ज0वि0प्र0 के दुकान तक पहुँचाने हेतु परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
3. भारतीय खाद्य निगम के डीपो से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित खाद्यान्नों का उठाव बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रखंड स्तरीय गोदाम तक जी0पी0एस0 एवं लोड शेल युक्त वाहनों से परिवहन हेतु परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं प्रखंड स्तरीय निगम के टी0पी0डी0एस0 गोदामों से ज0वि0प्र0 के गोदामों तक जी0पी0एस0 एवं लोडशेल युक्त वाहनों से खाद्यान्नों के परिवहन हेतु परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्ता (डी0एस0डी0) की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर एक "**जिला परिवहन समिति**" होगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे–

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3	जिला के वरीय अपर समाहर्ता	सदस्य
4	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य
5	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम	सदस्य सचिव

सी0एम0आर0 गोदाम से अंतर्जिला खाद्यान्न भेजने हेतु रैक प्वाईंट तक तथा पुनः रैक प्वाईंट से टी0पी0डी0एस0 गोदाम तक खाद्यान्नों के परिवहन एवं हथालन के साथ–साथ गन्नी बैग्स इत्यादि की ढुलाई का कार्य भी जिला परिवहन समिति द्वारा चयनित परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) से लिया जा सकेगा।

जिला परिवहन समिति के निम्न दायित्व होगें:–

I. सामान्यतः परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) का चयन 03 वर्षों के लिए किया जायेगा।

II. जिला परिवहन समिति की अनुशंसा पर परिवहन अभिकर्त्ताओं को 06–06 माह के अंतराल पर अधिकतम दो बार अवधि विस्तार प्रबंध निदेशक द्वारा दिया जा सकेगा।

III. परिवहन अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति, उनका अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा, उनके चयन हेतु निविदा का प्रकाशन और उनका निष्पादन, चयनित व एकरारनामित परिवहन अभिकर्त्ताओं के बीच समानुपातिक रूप से कार्यो का बँटवारा, एकरारनामा को रद्द किया जाना, परिवहन अभिकर्त्ताओं को काली सूची में दर्ज किया जाना, इत्यादि कार्य जिला प्रबंधक द्वारा जिला परिवहन समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।

IV. दण्ड अधिरोपित करने, एकरारनामा रद्द करने, एकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन हेतु काली सूची में दर्ज करने से पूर्व संबंधित परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता से नैसर्गिक न्याय के तहत आरोपों की विवरणी के साथ **कारण पृच्छा** निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्राप्त

करना होगा। यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण/कारण पृच्छा साक्ष्य–सहित नहीं दिया जाता है तो माना जायेगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।

V. कार्यरत परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता की एकरारनामा में निर्धारित अवधि समाप्त होने के कम से कम तीन माह पूर्व ही निविदा का आमंत्रण जिला परिवहन समिति द्वारा किया जायगा, किन्तु यह भी कि यदि किसी कारणवश एकरारनामा रद्द किया गया हो तो एक माह के अन्दर निविदा आमंत्रित की जायेगी एवं अधिकतम तीन माह के अन्दर निविदा की प्रक्रिया पूरी कर नये परिवहन अभिकर्त्ताओं का चयन जिला परिवहन समिति द्वारा कर लिया जायेगा।

VI. विशेष परिस्थिति यथा–एक से अधिक जिलों में जिला परिवहन समिति द्वारा समय–सीमा के अन्दर निविदा नहीं निकाले जाने की स्थिति में निगम मुख्यालय स्तर से जिलावार समेकित निविदा का प्रकाशन किया जायेगा, जिसका निष्पादन विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जिला परिवहन समिति द्वारा समय–सीमा के अन्दर किया जायेगा।

VII. प्रबंध निदेशक को कालाबाजारी करने, खाद्यान्न के परिवहन में अनियमितता, एकरारनामा के शर्तो के उल्लंघन हेतु दण्ड अधिरोपित करने, एकरारनामा रद्द करने, कालीसूची में दर्ज करने की ऐसी सभी शक्तियाँ होगी जो जिला परिवहन समिति/जिला प्रबंधक में निहित या प्रत्यायोजित है। इसके साथ ही साथ इस प्रकार के मामले में जिला प्रबंधक/जिला परिवहन समिति द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा कर यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(4) मुख्यालय परिवहन समितिः– बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के तहत एकल निविदा के निपटारे एवं जिला परिवहन समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर मार्गदर्शन एवं समीक्षा हेतु मुख्यालय स्तर पर एक मुख्यालय परिवहन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः–

1	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	मुख्यालय में पदस्थापित वरीय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी	सदस्य
3	निदेशक पर्षद द्वारा मनोनित किये गये कोई एक सदस्य	सदस्य

मुख्यालय परिवहन समिति के निम्न दायित्व होंगेः–

(क) "मुख्यालय परिवहन समिति" सक्षम प्राधिकार (जिला परिवहन समिति) से एक स्तर के उपर के प्राधिकार के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावे यदि जिला परिवहन समिति वर्तमान में स्वीकृत परिवहन दर से अधिक दर पर परिवहन अभिक़र्त्ताओं का चयन करेगी, तो ऐसे मामले की समीक्षा भी मुख्यालय परिवहन समिति द्वारा की जायेगी।

(ख) अनियमितता बरतने के आरोप में या एकरारनामा अवधि समाप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के ससमय उठाव, परिवहन एवं वितरण को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वच्छ छवि वाले कार्यरत परिवहन अभिकर्त्ता का चयन, नये परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता की नियुक्ति होने तक उक्त जिले के निर्धारित दर पर या फिर विभागीय रूप से खाद्यान्न का परिवहन जिला परिवहन समिति की अनुशंसा पर मुख्यालय परिवहन समिति द्वारा किया जा सकेगा।

(5) जिला परिवाद समितिः– जिला परिवहन समिति द्वारा निविदा के निष्पादन के क्रम में निविदादाता द्वारा जिला पदाधिकारी या जिला प्रबंधक या निगम मुख्यालय में काफी संख्या में परिवाद पत्र दायर करते हैं। अतः परिवाद पत्रों के ससमय निष्पादन हेतु जिला स्तर पर एक **जिला परिवाद समिति** होगी, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगाः–

1	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य
3	अपर जिला प्रबंधक (जन वितरण), राज्य खाद्य निगम	सदस्य सचिव

उक्त **जिला परिवाद समिति** के निम्न **दायित्व** होंगेः–

जिला परिवाद समिति प्राप्त परिवाद पत्रों की जाँच अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर करते हुए निविदा के निष्पादन के पूर्व अपना प्रतिवेदन जिला परिवहन समिति को समर्पित करेगी और उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला परिवहन समिति अंतिम निर्णय लेगी।

16/3/2018

(6) अपीलीय प्राधिकारः– (क) कार्यरत परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई, दण्ड अधिरोपित करने के क्रम में यदि जिला परिवहन समिति/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा परिवहन अभिकर्त्ताओं के एकरारनामा को रद्द किया जाता है अथवा उन्हें काली सूची में डाला जाता है, तो उक्त आदेश के विरूद्ध आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रबंध निदेशक के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

(ख) यदि प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा परिवहन अभिकर्त्ताओं के एकरारनामा को रद्द किया जाता है अथवा उन्हें काली सूची में डाला जाता है, तो उक्त आदेश के विरूद्ध आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निगम निदेशक पर्षद द्वारा गठित **''स्थायी समिति''** के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

(ग) अपीलीय प्राधिकार नैसर्गिक न्याय के तहत उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् यथोचित आदेश पारित करेगी।

(7) e-Tendering:- बिहार वित्त नियमावली के निदेश के आलोक में परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) के चयन हेतु निविदाएँ **e-Tendering के माध्यम से की जायेगी।**

(8) एकल निविदा का निपटाराः–

बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–7806 दिनांक 30.09.16 के आलोक में– क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Techinical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात् वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्र निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गई निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो, तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायगी। अगर दोबारा निविदा आमंत्रण के बाद भी तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु एक ही निविदा शेष हो तो उस विषय का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार **(मुख्यालय परिवहन समिति)** द्वारा किया जायेगा।

(9) निरसन एवं व्यावृतिः– इस परिवहन नीति के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से परिवहन अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति से संबंधित पूर्ववर्ती असंगत नियमावली/प्रावधान/अनुदेश/परिपत्र निरसित समझी जायेगी। ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त परिवहन नीति के तहत किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई इस परिवहन नीति द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी। मानो यह परिवहन नीति उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उक्त परिवहन नीति निगम निदेश पर्षद की 152वीं बैठक (दिनांक–08.03.2018) में मद संख्या 152.11 के रूप में अनुमोदित है।

16/3/2018
प्रबन्ध निदेशक।

ज्ञापांकः– 2648 दिनांकः– 16/3/18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी , बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी , बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/3/2018
प्रबन्ध निदेशक।